


उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

उज्जैन शहर में 02 साँची दुग्ध उत्पाद
वितरक नियुक्ति हेतु
आवेदन – प्रपत्र
वर्ष 2019 – 21



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
मक्सी रोड़ डेयरी प्लाट, उज्जैन–456010
दूरभाष – 2527061,2527068,2527066

मोनो

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मकसी रोड, पोस्ट बॉक्स नं.106, उज्जैन-456001 (म.प्र.)

दूरभाष – 0734-2527068, फेक्स नं. 2527063

उज्जैन शहर में साँची दुग्ध पदार्थ वितरक नियुक्ति हेतु
आवेदन द्वितीय सूचना।

उज्जैन शहर में साँची दुग्ध पदार्थ के सुव्यवस्थित वितरण के लिए मार्ग क्रमांक 01 व 02 के लिए एक-एक वितरकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक आवेदनकर्ता फर्म/प्रतिष्ठान रूपये 500=00 (पांच सौ मात्र) नगद भुगतान कर उपरोक्त स्थान से कार्यालयीन समय में आवेदन क्रय कर सकते हैं अथवा दिनांक 16/09/2019 से दिनांक 29/09/2019 तक एमपीसीडीएफ की वेबसाईट <http://www.mpcdf.gov.in> से डाउनलोड कर आवेदन के मूल्य रूपये 500/- का डी.डी. उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के नाम बनवाकर संलग्न करे।

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन दिनांक 30/09/2019 को अपरान्ह 1:00 बजे तक उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मकसीरोड उज्जैन में जमा किये जा सकेंगे। प्रत्येक आवेदन के साथ ई.एम.डी. राशि रूपये 25,000=00 का बैंक ड्राफ्ट जो 'उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, उज्जैन' के नाम देय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना ई.एम.डी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन दिनांक 30/09/2019 को ही अपरान्ह 3:00 बजे उपस्थित आवेदक/प्रतिनिधि के समक्ष समिति द्वारा खोले जाएंगे। किसी भी आवेदन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकरी को रहेगा एवं किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त रहेगा।

शेष विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट <http://www.mpcdf.gov.in> पर उपलब्ध है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
आवेदन प्रपत्र का कार्यक्रम प्रपत्रों की जानकारी

1	आवेदन प्रपत्र विक्रय आरंभ करने की तिथि एवं समय	दिनांक 16/09/2019 प्रातः 11:00 बजे
2	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	29/09/2019 दोपहर 12:00 बजे तक
3	आवेदन जमा करने की तिथि एवं समय	30/09/2019 अपराह्न 01:00 बजे तक
4	आवेदन खोलने की तिथि एवं समय	30/09/2019 अपराह्न 3:00 बजे
5	आवेदन के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि	25,000=00 (एक लाख मात्र) उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन पेयबल एट उज्जैन के नाम से देय हो।
6	आवेदन प्रपत्र का मूल्य	रुपये 500/- (पाँच सौ मात्र)
7	आवेदन खोलने का स्थान एवं पता	उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सीरोड उज्जैन
8	दुग्ध वितरक हेतु तकनीकी अर्हताएं एवं सामान्य शर्तें का प्रारूप	प्रपत्र 01 एवं 02
9	आवेदन प्रपत्र	प्रपत्र - 03
10	अनुबंध का प्रारूप	प्रपत्र - 04
11	दर संरचना	प्रपत्र - 05
12	उज्जैन शहर के समस्त कार्यक्षेत्र का चार भागों में विभाजन का प्रारूप	प्रपत्र - 06

आवेदन प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :-


- प्रपत्र क्रमांक 01 ‘तकनीकी अर्हताएं’ प्रपत्र क्रमांक 02 ‘सामान्य शर्त प्रपत्र क्रमांक 3 आवेदन पत्र एवं प्रपत्र क्र. 4 अनुबंध का प्रारूप एक साथ एक ‘बन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जावे, एवं लिफाफे पर उज्जैन शहर हेतु “साँची दुग्ध पदार्थ वितरक हेतु आवेदन” लिखा जावे साथ ही लिफाफे पर प्रेषक का नाम पता अंकित किया जावे।
- आवेदन में उल्लेखित शर्तों की अतिरिक्त आवेदनकर्ता की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- बिना पूर्ण दस्तावेज एवं ई.एम.डी. राशि के प्रस्तुत किये गये आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।
- आवेदनकर्ता द्वारा प्रपत्र – 01, 02, एवं 03 के प्रत्येक पेंज पर अपने हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे।
- आवेदन के साथ प्रपत्र क्रमांक 05 पर साँची दुग्ध उत्पाद की वर्तमान दर संरचना संलग्न है। आवेदनकर्ता सभी व्यापारिक एवं पूँजी निवेश का पूर्ण विश्लेषण करने के पश्चात ही आवेदन करें।

तकनीकी अहर्ताएं

क्र.	आवश्यक अहर्ताएं	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व प्रमाणित दस्तावेज
1	आवेदनकर्ता का नाम व पता (संस्था / फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र / प्रमाण पत्र।
2	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनरशीप डीड।
3	आवेदनकर्ता संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था / फर्म के संचालक मण्डल / मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र या आधार कार्ड की छायाप्रति।
4	आवेदनकर्ता का पेनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5	GST नम्बर होना अनिवार्य है।		GST नम्बर / आवेदन की छायाप्रति संलग्न
6	साँची दुग्ध पदार्थ वितरण उपलब्ध वाहन का प्रकार (नया वाहन खरीदने की स्थिति में तदाशय का शपथ पत्र संलग्न करें। जिसमें मार्ग का नाम उल्लेखित करते हुए निविदा में वांछित क्षमता व मॉडल का इंशुलेटेड वाहन प्रस्तुत किया जाएगा।)		उपलब्ध वाहन के पंजीयन / अनुबंध की प्रति लगावें। या शपथ पत्र संलग्न करें।
7	बैंक का नाम एवं खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति या निरस्त चैक लगावें।
8	वित्तीय वर्ष (कर निर्धारण वर्ष 2017–18 एवं 2018–19, 2019–20) आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण		आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की कॉपी। (छायाप्रति संलग्न करें)
9	FSSAI लायसेन्स होना अनिवार्य होगा।		FSSAI लायसेन्स की छायाप्रति संलग्न करें।
10	गुमास्ता होना अनिवार्य होगा		छायाप्रति संलग्न करें।
11	विगत तीन वर्षों में न्यूनतम टर्नओवर रु. 1 करोड़ होना अनिवार्य। होगा।		विगत तीन वर्षों की बेलेंसशीट सीए द्वारा सत्यापित प्रति। संलग्न करें।
12	ई.एम.डी.		मूल डी.डी. संलग्न करें।
13	आवेदन पत्र के मूल्य का डी.डी. (यदि आवेदन वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है तो)		मूल डी.डी. संलग्न करें।
14	आवेदनकर्ता एमपीसीडीएफ / अन्य दुग्ध संघ से टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं है। (इस बाबत का शपथ पत्र)		शपथ पत्र संलग्न करें।
15	आवेदनकर्ता दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी / कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार नहीं हैं। (इस बाबत शपथ पत्र)		शपथ पत्र संलग्न करें।

नोट:-

1. उक्त दस्तावेजों (जिनकी छायाप्रतियां मांगी गई हैं) की स्वयं के द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है, तथा आवेदन स्वीकृति होने पर मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
2. आवेदनकर्ता की पूर्ण आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर सम्पूर्ण आवेदन प्रपत्र मूल रूप से जमा करना होगा।
3. उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी चयन प्रक्रिया के दौरान/कार्य आवंटन के पश्चात/अनुबंध के पश्चात भविष्य में अनुबंधित अवधि में कभी भी असत्य पाये जाने पर साँची दुग्ध पदार्थ वितरक एजेंसी को निरस्त कर उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा मेरी सम्पूर्ण अमानत राशि राजसात की जा सकेगी जो मुझे मान्य है तथा ऐसा होने पर मेरे द्वारा कोई भी न्यायीक अथवा अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी।



साँची दुग्ध पदार्थ वितरक एजेन्सी आवेदन हेतु

आवश्यक शर्तें

1. आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ स्व प्रमाणित (हस्ताक्षर कर) पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
2. एक आवेदनकर्ता दोनों मार्गों के लिए आवेदन भर सकेगा। किन्तु आवेदनकर्ता एक आवेदन प्रपत्र में एक ही मार्ग हेतु आवेदन कर सकेगा। अलग—अलग मार्ग हेतु अलग—अलग आवेदन प्रपत्र एवं ई.एम.डी. प्रस्तुत करना अनिवार्य है। परन्तु किसी भी स्थिति में एक आवेदक को एक से अधिक मार्ग का आवंटन नहीं किया जावेगा।
3. आवेदनकर्ता को प्रत्येक आवेदन के साथ रूपये 25,000/- (अक्षरी रु. पच्चीस हजार मात्र) डी.डी.आर्नेस्टमनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। आर्नेस्टमनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
4. आवेदक को दुग्ध संघ में आवेदन स्वीकृति सूचना उपरांत प्रतिभूति राशि रूपये 1,00,000/- (अक्षरी एक लाख रूपये मात्र) आरटीजीएस के माध्यम से जमा करना होगी, नगद जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। भविष्य में विक्रय वृद्धि होने पर अतिरिक्त प्रतिभूति राशि जमा करना अनिवार्य होगी।
5. आवेदक के पास FMCG वस्तुओं का पूर्व वितरण विक्रय अनुभव तथापि क्षेत्र में नवीन कार्य आरंभ करने के इच्छुक आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं।
6. वितरक को दुग्ध पदार्थ के व्यवस्थित भंडारण हेतु एवं उचित प्रशीतन हेतु विक्रय की क्षमता अनुसार डीप—फ्रीज (क्षमता 500 लीटर) होना आवश्यक होगा।
7. वितरक को दुग्ध पदार्थ की प्रदायगी सुपर स्टॉकिस्ट दुग्ध पदार्थ के माध्यम से होगी। वितरक को अपनी मांग कम से कम एक दिवस पूर्व सुपर स्टॉकिस्ट को लिखित में देना होगी, किन्तु दुग्ध संघ/सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा उपलब्धता अनुसार मांग की पूर्ति की जा सकेगी।
8. वितरक को दुग्ध संघ की निर्धारित शर्तों के अनुसार रूपये 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध संपादित करना होगा। साथ ही वितरक को दो वर्ष के लिए नियुक्ति किया जावेगा, तत्पश्चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति, बाजार में व्यवसायिक साख इत्यादि बिन्दुओं की समीक्षा रिपोर्ट संतोष जनक होने पर दोनों पक्षों के सहमत होने पर इसमें प्रबंधन के निर्णय अनुसार एक—एक वर्ष की तीन वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।
9. वितरक को आवंटित मार्ग में निर्देश अनुसार नेटवर्क स्थापित कर लक्ष्य अनुसार विक्रय करना आवश्यक होगा।
10. वितरक को जो भी विक्रय लक्ष्य दिये जाते हैं उनको प्राप्त करना अनिवार्य होगा, लक्ष्य प्राप्ति के अभाव अनुबंध निरस्त करने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

11. नेटवर्क स्थापित करने हेतु वितरक को कम से कम 1 विक्रय प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर आवंटित कार्यक्षेत्र हेतु रखना होगा एवं आवश्यकता अनुसार वृद्धि करना होगी।
12. वितरक को शहर में आयोजित होने वाले मेला प्रदर्शनी कार्यक्रमों में भी स्वयं की व्यवस्था से साँची स्टॉल लगाना अनिवार्य होगा।
13. किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त/स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
14. दुग्ध संघ द्वारा उज्जैन शहर को चार मार्गों में विभाजित किया गया है। आवेदक को जिस मार्ग हेतु आवेदन करना होगा, उस मार्ग का नाम स्पष्ट आवेदन में अंकित करना होगा।
15. आवेदक को आवेदन स्वीकृति उपरांत अपने कार्यक्षेत्र के मध्य में साँची वितरक के रूप में विकसित करने के लिए न्यूनतम 100 स्केवेयर फीट की दुकान/कार्यालय उपलब्ध कराना होगा, एवं उसे संचालित करना होगा।
16. आवेदक को तकनीकी अर्हता पूर्ण होने पर ही लॉटरी ड्रॉ में सम्मिलित किया जावेगा। यदि किसी मार्ग के लिए एक ही पात्र आवेदन प्राप्त होता है तो उसको चयनित किया जाएगा। एक से अधिक पात्र आवेदन प्राप्त होने पर चयन लॉटरी द्वारा किया जावेगा।
17. एक आवेदक एक अथवा एक से अधिक मार्ग पर आवेदन कर सकेगा। किन्तु दुग्ध संघ द्वारा एक आवेदनकर्ता को एक ही मार्ग आवंटित किया जाएगा। चयन प्रक्रिया क्रमशः पहले 1, व 2, मार्ग पर होगी। आवेदक किसी भी मार्ग के लिए चयनित होने पर आगामी मार्ग के ड्रॉ प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
18. प्राप्त आवेदनों की समीक्षा गठित समिति के द्वारा की जावेगी एवं समिति अपनी अनुशंसा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
19. आवेदन स्वीकृति होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की आर्नेस्टमनी राजसात कर भविष्य के लिए काली सूची में दर्ज किया जाएगा।
20. वर्तमान में दुग्ध संघ के साथ कार्य कर रहे किसी भी वितरक/वितरक सह-परिवहनकर्ता/सुपर स्टॉकिस्ट अथवा अन्य द्वारा इस प्रक्रिया में भाग लिया जाता है तो आवेदन स्वीकृत होने के एक सप्ताह के अन्दर वर्तमान अनुबंध से सबंधित लेनदारी-देनदारी का पूर्ण हिसाब कर बकाया धनराशि एवं क्रेट दुग्ध संघ में जमा कराने होंगे अन्यथा आवेदन स्वतः निरस्त होकर ई.एम.डी राशि राजसात हो जावेगी तथा भविष्य के लिए ऐसी पार्टी को ब्लेक लिस्ट किया जावेगा।
21. वर्तमान में जिस व्यक्ति/फर्म के विरुद्ध दुग्ध संघ का न्यायीक प्रकरण न्यायालय में चल रहा है, ऐसे व्यक्ति/फर्म आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

22. दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे, इस बाबत् आवेदनकर्ता को रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर शपथ पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। (प्रारूप संलग्न है)
23. आवेदक को आवेदन के साथ रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया हो।

मेरे द्वारा साँची दुग्ध पदार्थ वितरक हेतु आवेदन की समस्त शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ व समझ ली हैं तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिए सहज तैयार हूँ/हैं। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी कभी भी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 23 तक वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता हूँ तो मेरा आवेदन/अनुबंध निरस्त कर मेरी अर्नेस्टमनी/प्रतिभूति राशि राजसात करने का प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।



हस्ताक्षर



आवेदक का नाम एवं पता

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़ उज्जैन (म.प्र.)

उज्जैन शहर में साँची दुग्ध उत्पाद विक्रय हेतु वितरकशीप आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम—.....
2. पिता का नाम —.....
3. स्थायी पता —..... (दस्तावेज संलग्न करें।)
वर्तमान व्यवसाय
4. शैक्षणिक योग्यता.....
5. जन्मतिथि
6. (अ) एफ.एम.सी.जी. व्यवसाय का अनुभव अवधि
(दोनों के दस्तावेज संलग्न करें।)
(ब) डेयरी व्यवसाय का अनुभव.....(दस्तावेज संलग्न करें)
7. उज्जैन शहर के आवेदित मार्ग का नाम/क्रमांक
(विभाजित चार कार्यक्षेत्र में से किसी एक मार्ग का नाम)
8. मोबाइल क्रमांक दूरभाष क्रमांक.....
9. E-mail id _____
10. साँची वितरक कार्यालय हेतु उपलब्ध स्थान की जानकारी (रजिस्ट्री/अनुबंध की छायाप्रति संलग्न करें।) :-
(अ) क्षेत्रफल
(ब) लोकेशन
11. मतदाता पहचान पत्र/अधारकार्ड/पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें
12. आवश्यक पूँजी, स्टॉफ, डीप फ्रीज, वाहन आदि की व्यवस्था
13. वर्तमान में किसी एफ.एम.सी.जी. कम्पनी की वितरकशीप है, तो कम्पनी का नाम एवं कार्यादेश की प्रतिलिपि (संलग्न करें)
14. खाद्य विभाग के एफएसएसएआई लायसेंस एवं जीएसटी की छायाप्रति संलग्न करें
15. जमानतदार (1) का नाम कार्य.....
(साधारण) पता
16. जमानतदार (1) का नाम कार्य.....
(शासकीय) पता

पासपोर्ट
साईज फोटो
(स्व प्रमाणित)

मेरे द्वारा उज्जैन क्षेत्र विपणन हेतु दुग्ध पदार्थ वितरक कार्य संबंधी इस फॉर्म के साथ संलग्न समस्त शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ और समझ चुका / चुकी हुं और मान्य करता / करती हुं। इस हेतु मेरे द्वारा शर्तें हस्ताक्षरित कर फॉर्म के साथ संलग्न की हैं। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर

दुर्घ वितरक अनुबंध

यह कि अनुबंध आज दिनांकको मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुर्घ संघ मर्यादित, मक्सी रोड उज्जैन जिसे आगे दुर्घ संघ के नाम से संबोधित किया जावेगा एवं श्री/मेसर्सजिन्हे आगे वितरक के नाम से संबोधित किया जावेगा। के मध्य निष्पादित किया गया। इस अनुबंध के तहत निम्न शर्तों क अधीन दुर्घ उत्पाद वितरक कार्य संपादित करेंगे।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यवसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत वितरक को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुर्घ संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुर्घ संघ को होगा। इसके लिए दुर्घ संघ किसी तरह से न्यायलयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। यदि वितरक इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे दुर्घ संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस वितरक कार्य छोड़ने बाबत् देना होगा।
2. वितरक दुर्घ संघ के पास राशि रूपये 1,00,000/- बतौर जमानत प्रतिभूति राशि नगद संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। भविष्य में विक्रय वृद्धि होने पर अतिरिक्त प्रतिभूति राशि जमा करना अनिवार्य होगा। दुर्घ संघ जमा की गई प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. वितरक दुर्घ संघ द्वारा आवंटित शहर/स्थान उज्जैन जिस पर स्थित साँची दुर्घ उत्पाद विक्रय केन्द्र जिनकी संख्या दुर्घ संघ अपनी आवश्यकतानुसार घटा या बढ़ा सकता है, पर साँची दुर्घ उत्पाद दुर्घ संघ द्वारा निर्धारित समयावधि में विक्रय केन्द्रों के माध्यम से विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
4. वितरक दुर्घ संघ द्वारा निर्धारित वितरक मूल्य पर साँची दुर्घ उत्पाद उसकी मांग अनुसार विपणन हेतु सुपर स्टॉकिस्ट से प्राप्त करेगा, किन्तु कतिपय कारणों से जैसे पावर सप्लाई में गड़बड़ी दुर्घ संयंत्र की यांत्रिकी गड़बड़ी रॉ मटेरियल (दुर्घ व अन्य पैकेजिंग समान आदि) की अनुपलब्धता हड़ताल, भूकंप आदि की स्थितियों में दुर्घ संघ किसी भी तरह से हर्जाने आदि के भुगतान से मुक्त व कनुनी प्रक्रिया से परे होगा।
5. वितरक प्राप्त किये गये साँची दुर्घ/दुर्घ उत्पादो के उचित प्रशीतन हेतु डीपफ्रीजर की व्यवस्था करेगा, जिससे कि दुर्घ उत्पाद की गुणवत्ता प्रभावित न हो।
6. वितरक को आवेदन में दर्शाये गये क्षेत्र में साँची वितरक के रूप में विकसित करने के लिए न्यूनतम 100 स्केवेयर फीट की दुकान उपलब्ध कराना होगी, एवं उसे संचालित करना होगा।
7. वितरक को प्रतिदिन दुर्घ पदार्थ विक्रय राशि (सुबह-शाम मिलाकर) का भुगतान सुपर स्टॉकिस्ट को आर.टी.जी.एस. (ई-पेमन्ट) के माध्यम से अग्रिम जमा करना होगा।
8. वितरक दुर्घ संघ की प्राप्त क्रेट/केन्स आदि का पूर्ण लेखा-जोखा रखेगा तथा इसकी पूर्ण वापसी हेतु जवाबदार रहेगा ऐसा न करने पर दुर्घ संघ के पास वितरक की प्रतिभूति राशि से क्रेट्स/केन्स की राशि वसूलने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

9. वितरक को स्वयं के व्यय से एक सेल्स मेन कार्य पर रखना अनिवार्य होगा।
10. वितरक को शहर में आयोजित होने वाले मेला प्रदर्शनी कार्यक्रमों में भी स्वयं की व्यवस्था से सांची स्टॉल लगाना अनिवार्य होगा।
11. वितरक का व्यवहार संघ/ सांची पार्लर प्रभारी/ सांची एजेंसी प्रभारियों के साथ संतोष प्रद होना चाहिए।
12. वितरक शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्ण रूपेण जवाबदारी व्यक्तिशः एवं कानूनी रूप से होगा तथा केन्द्र शासन/ राज्य शासन के इस विषय पर समय—समय के निर्देशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण बाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही वितरक के विरुद्ध की जा सकेगी, व एसी किसी भी कार्यवाही से दुग्ध संघ पूर्ण रूपेण मुक्त होगा।
13. दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित रिटेलर दरों पर विक्रय केन्द्रों पर प्रदायगी वितरक द्वारा करना होगी।
14. वितरक के मार्ग में स्थित केन्द्र प्रभारियों द्वारा उनकों विपणित की गई दुग्ध उत्पाद राशि को प्राप्त करना होगा। दुग्ध संघ किसी भी विक्रय केन्द्र से राशि प्राप्त न होने पर किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
15. समय—समय पर दुग्ध संघ वितरकों को आवंटित शहर/ क्षेत्र हेतु विक्रय लक्ष्य देवेगा, जिसकी प्राप्ति सुनिश्चित करना वितरक के लिए अनिवार्य होगी तथा लक्ष्यों की प्राप्ति न करने पर संक्षिप्त समीक्षा कर आवंटित कार्य समाप्त किया जा सकेगा।
16. संघ द्वारा निर्धारित ट्रेड मार्जिन जो कि वितरक को देय होगा, में लोकल परिवहन भी सम्मिलित होगा।
17. वितरक लगातार दुग्ध संघ की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य न कर पाने पर दुग्ध संघ उस शहर/ क्षेत्र के वितरक के रहते हुए भी क्षेत्र विभाजन कर अन्य अतिरिक्त वितरक नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र होगा या वितरक की वितरक कार्य बिना नोटिस दिये निरस्त करने हेतु पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होगा।
18. वितरक उसको आवंटित की गई वितरक कार्य किसी अन्य को हस्तांरित/ स्थानांतरित नहीं कर सकेगा। ऐसा करते पाये जाने पर दुग्ध संघ बिना कोई नोटिस दिये उसका कार्य आवंटन निरस्त कर सकेगा तथा उसकी अमानत राशि राजसात कर सकेगा।
19. समय—समय पर दुग्ध संघ द्वारा वितरक को दुग्ध विक्रय प्रोत्साहन हेतु दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु वितरक बाध्य होगा एवं यदि दुग्ध संघ यह पाता है कि वितरक विक्रय प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्रयास नहीं कर पा रहा है या उसे दिये समय—समय पर दिशा निर्देशों का जो विक्रय प्रोत्साहन कार्य के लिए आवश्यक है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ अपने व्यवसायिक हितों को सार्वोपरि रखते हुए कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।
20. इस अनुबंध की न्यायिक कार्यक्षेत्र उज्जैन शहर के न्यायालय में होगा तथा यह अनुबंध उपरोक्त शर्तों के अधीन दुग्ध संघ एवं वितरक की आपसी रजामंदी के तहत दिनांक को किया गया है।
21. दुग्ध संघ द्वारा वर्तमान में दिये जा रहे वितरक मार्जिन एवं रिटेलर मार्जिन में परिवर्तन (कमी या बढ़ोत्तरी) करने पर वितरक इसको स्वीकार करने लिए बाध्य होगा।

22. संघ द्वारा समय—समय पर जो भी निर्देश वितरकों को पत्रों/परिपत्रों के माध्यम से दिये जायेंगे, वे पत्र/परिपत्र अनुबंध के भाग माने जावेंगे।
23. यह कि किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में विवाद का निराकरण मध्यस्थल एवं सुलह अधिनियम के अंतर्गत अध्यक्ष उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन का निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा।
24. वितरक को आवंटित क्षेत्र में ही वितरक द्वारा दुग्ध उत्पादों का वितरक किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में दूसरे वितरक का आवंटित क्षेत्र में वितरक नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो वितरक का कार्य तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा।

मैं श्री / श्रीमती संबंध.....
नामनी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता / करती हुं।

दिनांक स्थान.....

वितरक

हस्ताक्षर

नाम

पता

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
मक्सी रोड, उज्जैन – 456010

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

वितरक

नाम.....

पता.....

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1

नाम :

पता:.....

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1

नाम :

पता:

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़ उज्जैन (म.प्र.)

उज्जैन दुग्ध संघ के समस्त कार्यक्षेत्र के समस्त वितरक/विक्रेता/उपभोक्ता हेतु सांची दुग्ध उत्पादों की वर्तमान दर संरचना :—

विवरण	पैकिंग	वितरक दर	रिटेलर दर	उपभोक्ता दर	विवरण	पैकिंग	वितरक दर	रिटेलर दर	उपभोक्ता दर
श्रीखण्ड	100 ग्राम	19.50	21.00	25.00	साँची पेड़ा	250 ग्राम	75.00	80.00	90.00
आप्रखण्ड	400 ग्राम	94.00	100.00	120.00		500 ग्राम	144.00	152.00	170.00
	80 ग्राम	19.50	21.00	25.00		1 किलोग्राम	274.00	288.00	320.00
मीठा दूध पैकेट	200 एम.एल.	10.50	11.50	15.00		35gm(2 नग)	12.25	13.00	15.00
डिसपोजल बोटल	200 एम.एल.	19.50	21.00	25.00	मिल्ककेक	250 ग्राम	75.00	80.00	90.00
नमकीन मठा	200 एम.एल.	7.00	8.00	10.00		500 ग्राम	144.00	152.00	170.00
सादा मठा	500 एम.एल.	9.75	10.50	12.00		1 किलोग्राम	274.00	288.00	320.00
लस्सी	200 एम.एल.	19.50	21.00	25.00	गुलाब जामुन	1 कि.ग्रा.	171.00	180.50	200.00
साँची लस्सी लाइट	200 एम.एल.	11.50	12.50	15.00	काजू कतली	200 ग्राम	111.40	115.90	125.00
पनीर	250 ग्राम	63.00	65.00	70.00	रसगुल्ला	1 कि.ग्रा.	142.90	151.70	170.00
	500 ग्राम	134.00	138.00	150.00	टेबल बटर	100 ग्राम	33.79	35.21	38.00
	1 कि.ग्रा.	253.00	260.00	280.00		500 ग्राम	168.96	176.07	190.00
दही	100 ग्राम	7.50	8.00	10.00	साँची कॉम्बो पैक (मिल्क केक एवं पेड़ा)	500 ग्राम	127.58	136.62	155.00
दही बल्क पैक 5kg.	प्रतिकिलो	66.50	70.00	75.00	गुलाब जामुन मिक्स	200 ग्राम	71.74	74.20	80.00
छेना रबड़ी	100 ग्राम	23.00	25.00	30.00	पनीर अचार	200 ग्राम	55.03	58.32	65.00
नारियल बर्फी	250 ग्राम	86.00	90.00	100.00	साँची गिफ्ट पैक (मिल्क केक, पेड़ा एवं नारियल बर्फी)	1 किलोग्राम	290.00	310.00	350.00
मावा	500 ग्राम	123.00	128.00	140.00	साँची कुकिंग बटर	500 ग्राम	165.69	170.52	185.00
चयका	1 कि.ग्रा.	175.00	185.00	200.00	साँची चाय प्रिमिक्स	20 ग्राम	8.59	8.81	10.00
ठणडाई	200 एम.एल.	19.50	21.00	25.00		01 कि.ग्रा.	366.67	380.44	400.00
साँची कॉफी प्रिमिक्स	20 ग्राम	8.60	9.00	10.00	साँची व्हे ड्रिंक	200 एम.एल.	13.48	14.74	20.00
	01 कि.ग्रा.	366.67	380.44	400.00					

उज्जैन शहर समस्त कार्यक्षेत्र का चार भागों में विभाजन निम्नानुसार है :-



नोट :- मार्गवार कार्यक्षेत्र की अधिक जानकारी आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कार्यालयीन दिवस में उज्जैन दुग्ध संघ की विपणन शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

दुग्ध संघ के अध्यक्ष/संचालक/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं होने का
शपथ पत्र का प्रारूप
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम	—
पिता	—
आयु	—
निवासी	—

उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा उज्जैन शहर में दुग्ध पदार्थ वितरक की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। मेरे द्वारा मार्ग क्रमांक के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं उज्जैन दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी संचालक महोदय, दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से मेरी कोई रिश्तेदारी या पारिवारिक संबंध नहीं हैं।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

नवीन वाहन उपलब्ध करने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप।
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम	—
पिता	—
आयु	—
निवासी	—

1— मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा उज्जैन शहर में दुग्ध पदार्थ वितरक कार्य हेतु (मार्ग क्रमांक) आवेदन किया गया है, यदि उक्त आवेदन स्वीकृत होता है तो मैं आवेदन पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार नवीन इंसुलेटेड वाहन सूचना प्राप्ति के एक माह के अन्दर लगाने हेतु वचनबद्ध हूं अन्यथा मेरा ओवदन अस्वीकार किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्राहिता

..

एमपीसीडीएफ या अन्य दुग्ध संघों से टर्मिनेट नहीं होने संबंधी
शपथ पत्र का प्रारूप।
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम	—
पिता	—
आयु	—
निवासी	—

1— मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा उज्जैन शहर में दुग्ध पदार्थ वितरक की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। मेरे द्वारा मार्ग क्रमांक के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लॉक लिस्ट नहीं किया गया हो।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता